कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा / संस्था / बी–2 / अपील / 3391 / 2019 दिनांक 27.11.2019 द्वारा श्री हेमराज, प्रधानाचार्य को माननीय अधिकरण के अपील संख्या 3391 / 2019 मे पारित अन्तरिम स्थगनादेश की अनुपालना मे राउमावि कोलाना जिला झालावाड मे पूर्ववत पदस्थापित रखा गया था एव स्थगन से प्रभावित प्रधानाचार्य श्रीमती कैलाश कुमारी मीणा का अन्तरिम समायोजन दोहरे पदस्थापन की स्थिति को समाप्त करने के उद्देश्य से राउमावि खारपा कला जिला झालावाड़ किया गया था।

माननीय अधिकरण द्वारा अपील संख्या 3391 / 2019 हेमराज बनाम सरकार एव अपील संख्या 116 / 2020 कैलाश कुमारी मीणा बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर व अन्य मे पारित समेकित निर्णय दिनांक 04.02.2020 द्वारा श्री हेमराज के पक्ष मे पारित अन्तरिम स्थगनादेश को निरस्त कर प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी से तीन विकल्प पत्र लेकर उसके पदस्थापन के सम्बन्ध मे प्रशासनिक आवश्यकतानुसार नवीन आदेश स्पीकिंग ऑर्डर प्रसारित करते हुए जारी किये जाने के निर्देश प्रदान किये गए।

अपील संख्या 116 / 2020 को माननीय अधिकरण द्वारा स्वीकार कर पूर्व अपील संख्या 3391 / 2019 मे पारित आदेश के अनुसार ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही निस्तारित कर दिये जाने के निर्देशो के अनुसरण मे एव विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 के अपीलार्थी श्रीमती कैलाश कुमारी मीणा, प्रधानाचार्य के सम्बन्ध मे पुनः प्रभावी हो जाने की स्थिति मे श्रीमती कैलाश कुमारी मीणा को राउमावि कोलाना जिला झालावाड मे प्रधानाचार्य के पद पर पुनः कार्यग्रहण किये जाने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

श्री हेमराज, प्रधानाचार्य द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपना पदस्थापन राउमावि झालावाड / राउमावि बाघेर, झालावाड़ अथवा वरिष्ठ व्याख्याता (समकक्ष प्रधानाचार्य–राउमावि), डाईट, झालरापाटन जिला झालावाड़ मे प्रधानाचार्य अथवा समकक्ष के पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी, श्री हेमराज के अभ्यावेदन का विभागीय दिशा–निर्देशों / नियमों / परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया और उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी का स्थानान्तरण झालावाड़ जिले मे ही किया गया है, किसी अन्य जिले में नहीं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 18063 / 2019 में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2019 में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि जिले से उसी जिले मे किये गए स्थानान्तरण को स्थानान्तरण की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। अपीलार्थी राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर के अधिकारी हैं और उन्हे नियोक्ता द्वारा राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती।

उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी श्री हेमराज, प्रधानाचार्य को प्रशासनिक आवश्यकता मे राउमावि खारपा कलां जिला झालावाड़ मे प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की पालना में तत्काल पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति / कार्यग्रहण से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं को शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित करें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था / बी–2 / अपील / हेमराज–कैलाशकुमारी / 3391–116 / 19–20 दिनांकः 26/02/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झालावाड़।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, झालावाड़।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी / रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)